यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
कदमा नम्बरः—59/2019 प्रार्थना पत्र
जमनालाल पिता नाथूलाल जागेटिया, उम्र बालिग निवासी माणिक्यनगर—भीलवाड़ा तहसील व जिला लवाड़ा (राजस्थान)

———प्रार्थी

बनाम

श्रीमति भूरी पत्नि कालू बलाई, उम्र बालिग निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री नंदा पिता दयाराम बलाई, उम्र बालिग निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री गौतमसिंह पिता भगवानसिंह चौहान, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्रीमति पुष्पादेवी पत्नि कैलाश चन्द्र जागेटिया, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—22.3.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व नियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कालसांस पटवार का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1906/2 रकबा 15 बीघा भूमि र्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये रगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.2.2019 को पंजीबद्व किया जाकर ये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, से 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 5 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् जे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.3.2019 को एक तरफा वाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

ल आराजी नम्बर 1906/2 रकबा 15 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने
आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, महुआकंला को
00/–रूपये (एक हजार पॉच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।
मिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की
जूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को
नना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner